



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

No. 796

26 Shrawan, 1940(S)

Ranchi, Friday, 17th August, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

**Notification
16th August, 2018**

Notification No. -19/2018 – State Tax(Rate)

S.O. No. 55 Dated. 17th August, 2018-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Department of Commercial Taxes, No.2/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 32, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(1) in the Schedule,

- (i) after S. No. 92 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“92 A.	1401	Sal leaves, siali leaves, sisal leaves, sabai grass”;
--------	------	---

- (ii) after S. No. 93 A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“93 B.	1404 90 90	Vegetable materials, for manufacture of jhadoo or broom sticks”;
--------	---------------	--

- (iii) For S. No. 102 A and entries relating thereto, the following shall be substituted,-

“102A.	2306	De-oiled rice bran Explanation: The exemption applies to de-oil rice bran falling under heading 2306 with effect from 25 th January, 2018”;
--------	------	---

- (iv) after S. No. 114 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“114A	46	Khali Dona; goods made of sal leaves, siali leaves, sisal leaves, sabai grass, including sabai grass rope
114B	44 or 68	Deities made of stone, marble or wood ”;

- (v) for S. No. 117 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely

“117	48 or 4907 or 71	Rupee notes or coins when sold to Reserve Bank of India or the Government of India”;
------	------------------------	--

- (vi) after S. No. 132 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“132A	53	Coir pith compost other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily, subject to the conditions as in the ANNEXURE I]”;
-------	----	---

- (vii) after S. No. 146 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“146A	96190010 or 96190020	Sanitary towels (pads) or sanitary napkins; tampons”;
-------	----------------------------	---

- (viii) after S. No. 151 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“152	Any Chapter except 71	Rakhi (other than those made of goods falling under Chapter 71)”
------	-----------------------	--

2. This notification shall come into force on the 27th July, 2018.

[File.NoVaKar / GST / 05/ 2018]
By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal,
Additional Chief Secretary.

Note:-The principal notification No.2/2017-State Tax(Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 32, dated the 29th June, 2017 and last amended by Notification No. 07/2018 - State Tax(Rate) dated 5th March, 2018 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 21, dated the, 5th March, 2018.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

16 अगस्त, 2018

अधिसूचना सं०. 19/2018- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं०-55 दिनांक- 17 अगस्त, 2018-- झारखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे एस. ओ. सं०-32, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

(1) अनुसूची में, -

(i) क्रम संख्या 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“92क	1401	साल की पत्तियां, सियाली की पत्तियां, सीसल की पत्तियां, सबाई घास”
------	------	--

(ii) क्रम संख्या 93क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

“93ख	1404 90 90	वनास्पतिक सामग्री, झाड़ू या ब्रूम स्टिक के विनिर्माण के लिए
------	---------------	---

(iii) क्रम संख्या 102 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

“102क	2306	तेल निष्कर्षित चावल-भूसी स्पष्टीकरण: यह छूट 25 जनवरी, 2018 से तेल निष्कर्षित चावल-भूसी पर लागू होती है जो कि शीर्ष 2306 के अंतर्गत आती है”
-------	------	---

- (iv) क्रम संख्या 114 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा-

“114क	46	खाली दोना; साल की पत्तियों, सियाली की पत्तियों, सीसल की पत्तियों, सबाई घास से बनी वस्तुएं, जिनमें सबाई घास की रस्सी भी शामिल है ”;
“114ख	44 या 68	पत्थर, संगमरमर या लकड़ी से निर्मित देवी-देवताओं की मूर्तियां”

- (v) क्रम संख्या 117 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा-

“117	48 या 4907 या 71	नोट रुपए या सिक्के जब इनको भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार को बेचा गया हो”
------	---------------------	---

- (vi) क्रम संख्या 132 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा-

“132क	53	कोयर पिथ कम्पोस्ट, उनसे भिन्न जो यूनिट कनटेनर में बंद हों और- (क) जिनका पंजीकृत ब्रांड नेम हों; या (ख) जिनका ऐसा ब्रांड नेम हो जिसके नाम से किसी विधि न्यायालय में कार्रवाई की जा सकती हो या किसी अधिकार को लागू किया जा सकता हो [उनसे भिन्न जहां कि अनुबंध 1 में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे ब्रांड नेम के नाम से किसी कार्रवाई या लागू किए जाने वाले अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो ।”
-------	----	---

- (vii) क्रम संख्या 146 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा-

“146क	9619 00 10 या 9619 00 20	सेनेटरी टावल्स (पैड्स) या सेनेटरी नेपकिन्स; टेम्पोन्स
-------	-----------------------------	---

(viii) क्रम संख्या 151 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा-

“152	अध्याय 71 को छोड़कर कोई भी अध्याय	राखी (उनसे भिन्न जो अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं से बनाई गई हों)”
------	-----------------------------------	--

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवर्तित होगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/05/2018]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,

अपर मुख्य सचिव ।

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 32, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 7/2018-राज्य कर (दर), दिनांक 5 मार्च, 2018 जिसे एस. ओ. सं. 21, दिनांक 5 मार्च, 2018 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।
